पत्रिका

हाईकोर्ट

कोयला घोटाला: संपत्ति अटैच करने फैसला सुरक्षित

पत्रिका ब्यूरो
patrika.com

बिलासपुर. प्रदेश के बहुचर्चित कोयला घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा आरोपियों की संपत्ति अटैच करने के मामले में दायर 10 याचिकाओं पर गुरुवार को चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच ने फैसला सुरक्षित कर दिया। मामले में 5 दिन से सुनवाई जारी थी। सौम्या चौरसिया और सूर्यकांत तिवारी सहित परिवार की संपत्ति अटैच करने के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की गई है। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि ईडी ने बिना दस्तावेजों के अवैधानिक तरीके से उनकी प्रापर्टी को अटैच किया है। ईडी ने कोयला लेवी घोटाला मामले में मुख्य आरोपी सूर्यकांत तिवारी और अन्य से अब तक 49.73 करोड़ की संपत्तियों को कुर्क किया है, जिसमें बैंक बैलेंस, वाहन, नकदी, आभूषण और जमीन शामिल हैं।

04/07/2025 | Raipur City | Page : 3
Source : https://epaper.patrika.com/